ग्राम पंचायत समैला, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.17

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत समैला, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री इन्द्र सिंह	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमति दीपा देवी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री सुनील कुमार	01.04.14 से 12.06.14
2	श्री संदीप कुमार	13.06.14 से 16.03.15
3	श्री सुशील कुमार	17.03.15 से 31.08.15
4	श्री रविन्द्र शर्मा	01.09.15 से 26.04.16
5	श्री विकास चांदला	27.04.16 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत समैला, विकास खण्ड बिझड़ी के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना	--
2	4.2	आय (अनुदान इत्यादि) का रोकड़ बही में इन्द्राज न करना	0.81
3	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.04
4	6	अनुदान का उपयोग न करना	15.25
5	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.84

6	8	स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करने बारे	0.23
7	9	निर्माण कार्यों में परिमाप राशि से अनियमित रूप से अधिक भुगतान	1.14

भाग- दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत समैला, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 06.12.17 से 15.12.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	05/2014	10/2014
2015-16	05/2015	04/2015
2016-17	07/2016	09/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत समैला, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 582 दिनांक 15.12.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 221095 (KCCB) दिनांक 22.12.17 के माध्यम से उक्त राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत समैला, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत समैला, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	109692	30765	140457	22995	117462
2015-16	117462	25131	142593	18682	123911
2016-17	123911	57992	181903	66013	115890

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत समैला, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	594395	3513474	4107869	2861602	1246267
2015-16	1246267	3370824	4617091	4031359	585732
2016-17	585732	3342448	3928180	2403438	1524742

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹115890

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹1524742

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में
दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹1640632

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹1721104.79

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि : ₹543

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN-A, KCCB -64290	131629/-
13th & 14th FC, PNB -56100	899922.79
GEN-A, KCCB – 64267	371269/-
GEN-A, KCCB – 3705	2198/-
IAY, KCCB –3954	5987/-
WDF, KCCB – 27339	16560/-
Water Shed, KCCB – 25739	293539/-
MNREGA, KCCB -16212	0
MNREGA, SBI-	0
कुल राशि	**₹1721104.79**

Bank Reconciliation Statement

Particulars	Debit	Credit
Balance a per Cash Book as on 31.03.17	1640632	-
Amount received in bank but not taken in Cash Book up to 31.03.17	81016	-
On 14.06.14 (13^{th} FC) PNB-56100- ₹888/-		
On 09.09.14 (13^{th} FC) PNB-56100- ₹12448/-		
On 29.09.14 (13^{th} FC) PNB-56100- ₹35400/-		
On 05.11.14 (13^{th} FC) PNB-56100- ₹18198/-		
On 16.12.14 (13^{th} FC) PNB-56100- ₹12427/-		
On 07.05.15 (GCB) KCCB-64267- ₹455/-		
On 14.08.15 (GCB) KCCB-64267- ₹1200/-		

Cash in Hand (Own Source)	-	543
Balance as per Pass Book	-	1721105
Total	**₹1721648**	**₹1721648**

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के अंतशेषों का बैंक खातों के अन्तशेष से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। अतः नियमों के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों से बैंक खातों के शेष के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 ₹0.81 लाख की आय (अनुदान इत्यादि) का रोकड़ वही में इन्द्राज न करना :-

रोकड़ वहियों की जांच में पाया कि पंचायत में बैंक समाधान विवरणी के अनुसार ₹81016 बैंक खातों में प्राप्त की गई थी, लेकिन इस राशि का इन्द्राज रोकड़ बहियों में नहीं किया गया था जिससे इस राशि के वास्तविक व्यय की जांच नहीं की जा सकी। अतः उक्त राशि के व्यय से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए एवं भविष्य में प्रत्येक राशि का इन्द्राज रोकड़ बही में करना सुनिश्चित करें।

5 पंचायत राजस्व ₹0.04 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.17 को गृहकर एवं विवाह पंजीकरण फीस के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹4215 वसूली हेतु शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें।

(i) गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	0	7230	7230	7045	185
2015-16	185	7230	7415	0	7415
2016-17	7415	7230	14645	12230	2415

(ii) शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹1800 की कम वसूली :-

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200/- (बी.पी.एल.परिवार ₹25/-) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400/- (बी.पी.एल.परिवार ₹50/-) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। जांच में पाया कि माह 11/2016 से 03/2017 तक में निम्न विवरणानुसार ₹1800/- पंजीकरण फीस के रूप में वसूल नहीं किए गए थे, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें। विवरण निम्नलिखित है :-

विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या	**नाम**	**विवाह की दिनांक**	**पंजीकरण की दिनांक**	**वसूली योग्य पंजीकरण राशि**
10 (2016)	श्री अजय कुमार	16.11.16	26.11.16	200/-

11	श्री अंकुश कुमार	12.12.16	23.12.16	200/-
12	श्री प्रदीप कुमार	09.12.16	23.12.16	200/-
01 (2017)	श्री राम लाल	03.01.17	03.01.17	200/-
2	श्री मदन लाल	03.01.17	03.01.17	200/-
3	श्री अश्वनी कुमार	18.01.17	23.02.17	400/-
4	श्री शुभम चन्देल	14.02.17	23.02.17	200/-
5	श्री प्रदीप कुमार	18.02.17	07.03.17	200/-
			कम वसूली गई राशि	**₹1800.00**

उक्त राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 581 दिनांक 15.12.17 **द्वारा** कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 150-151 दिनांक 15.12.17 **द्वारा** सूचित किया गया कि उक्त ₹1800 की वसूली कर ली जाएगी । अतः वसूली करके पचायत के निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

(iii) भू- राजस्व की वसूली न करना :-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि 2014-15 से 2016-17 में भू-राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे । अतः नियमानुसार भू- राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें ।

6 अनुदान ₹15.25 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत **द्वारा** अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1524742 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.84 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 **द्वारा** स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-2 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत **द्वारा** ₹284337 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

8 **स्वीकृत राशि से ₹0.23 लाख का अधिक व्यय करना:-**

जांच में पाया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर स्वीकृत एवं प्राप्त की गई राशि से ₹22820/- की राशि अधिक खर्च कर दी गई थी :-

वर्ष	कार्य का नाम	माप पुस्तिका/ वही खाता पृष्ठ संख्या	स्वीकृत /प्राप्त राशि	व्यय राशि	अधिक व्यय
2014-15	नि. नाली लेखराज लेखराम के घर से कमल देव के घर की ओर	MB: 6565, Page-90-92 Ledger P-15/2015	30000/-	45170/-	15170/-
2014-15	नि. सम्पर्क मार्ग व कलवर्ट कार्य समैला	MB: 6565, Page-55 Ledger P-13/2015	200000/-	207650/-	7650/-

उक्त अनियमित भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 581 दिनांक 15.12.17 **द्वारा** कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 150-151 दिनांक 15.12.17 **द्वारा** सूचित किया गया कि उक्त ₹22820/- की वसूली कर ली जायेगी। अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये।

9 **निर्माण कार्यों में परिमाप राशि से ₹1.14 लाख का अनियमित रूप से अधिक भुगतान:-**

जांच में पाया कि (सामान्य रोकड़ बही) निम्नलिखित कार्यों में परिमाप राशि से ₹114487 का अधिक भुगतान कर दिया गया था। परिमाप राशि से अधिक भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें।

कार्य का नाम	**स्वीकृत राशि**	**परिमाप राशि (Assessment Value)**	**कार्य पर कुल व्यय**	**अनियमित भुगतान**	**माप पुस्तिका / एवं वहीखाता पृष्ठ**
नि. सोखता खड्डे, गाँव जरल	130000/- (Sanction No. 5912-14 Dated 18.08.15	62320/-	116650/-	54330/-	MB:6565/98-100 Ledger P-201/2015 & 05/2016
नि. नाली एवं सोखता खड्डा करतार सिंह आदि के घरों से नाले की ओर	99200/-	44082/-	82922/-	38840/-	MB:6565/96-98 Ledger P-18/2016
नि. बाउंडरी बाल, पंचायत घर	-	78620/-	99937/-	21317/-	MB:6565/87 Ledger P-179/2014
			कुल योग	**₹114487**	

उक्त अनियमित भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 581 दिनांक 15.12.17 **द्वारा** कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 150-151 दिनांक 15.12.17 **द्वारा** सूचित किया गया कि उक्त अनियमितता की सूचना विकास खण्ड अधिकारी, बिझड़ी को दे

दी गई है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये।

10 वाउचर संख्या 2 दिनांक 04.04.15 (सामान्य रोकड़ बही) में ₹855/- का अधिक भुगतानः-

चयनित माह 04/2015 के वाउचर संख्या 2 दिनांक 04.04.15 (सामान्य रोकड़ बही) की जांच में पाया कि मस्ट्रोल संख्या 3569 में दिनांक 09.04.15 से 30.04.15 तक निर्माण कार्य " नि. नाली व सोखता खड्डा गाँव घरयाणी जटटां " में खाता संख्या 64267 (GCB) चैक संख्या 940200 दिनांक 04.04.15 द्वारा ₹65400 का भुगतान किया गया था, जबकि जांच में पाया कि उक्त मस्ट्रोल का कुल योग ₹64545 बनता था। अर्थात उक्त मस्ट्रोल में ₹855 का अधिक भुगतान किया गया था।

उक्त अनियमित भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 581 दिनांक 15.12.17 द्वारा कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 150-151 दिनांक 15.12.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अधिक भुगतान राशि की वसूली कर ली जायेगी। अतः वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये।

11 पंचायत की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार सावधि जमा में निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाए ।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. मोबाइल टावर की नवीनीकरण फीस के रख-रखाव का रजिस्टर तैयार न करना।

13 **प्रत्यक्ष सत्यापन :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 **लघु आपति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

15 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6) 47/2018 खण्ड—1—3103—3106 दिनांक 07.05.2018 शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत समैला, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्त/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881